

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरु)
पीठासीन अधिकारी श्री रवि कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.-.....69...../2024
पिथा राम पुत्र भाणु राम

जाति मेघवाल निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरु ।

- प्रार्थी -

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर ।

- अप्रार्थी -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 138 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक 27.03.2024

निर्णय


प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा पूनसीसर तहसील तारानगर के खसरा सं. 547 तादादी 3.4521 हेक्ट., खसरा सं. 551 तादादी 0.4173 हेक्ट., खसरा सं. 709/445 तादादी 3.5785 हेक्ट. कुल तादादी 7.4479 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम पृथाराम पुत्र भाणुराम अंकित है जो गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम पिथा राम पुत्र भाणु राम सही है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पहचान-पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम पिथा राम पुत्र भाणु राम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरुस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा पूनसीसर तहसील तारानगर के खसरा सं. 547 तादादी 3.4521 हेक्ट., खसरा सं. 551 तादादी 0.4173 हेक्ट., खसरा सं. 709/445 तादादी 3.5785 हेक्ट. कुल तादादी 7.4479 हेक्ट. में प्रार्थी का नाम पिथा राम पुत्र भाणु राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दिये प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट पटवार हल्का सोमसीसर के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पहचान-पत्र, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम पृथाराम पुत्र भाणुराम की जगह पिथा राम पुत्र भाणु राम करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पृथाराम पुत्र भाणुराम ही दर्ज है। अतः प्रार्थी पृथाराम पुत्र भाणुराम की जगह पिथा राम पुत्र भाणु राम दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पहचान-पत्र से प्रार्थी का दस्तावेजीय नाम पिथा राम पुत्र भाणु राम होना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा पूनसीसर तहसील तारानगर के खसरा सं. 547 तादादी 3.4521 हेक्ट., खसरा सं. 551 तादादी 0.4173 हेक्ट., खसरा सं. 709/445 तादादी 3.5785 हेक्ट. कुल तादादी 7.4479 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि पृथाराम पुत्र भाणुराम के स्थान पर पिथा राम पुत्र भाणु राम अंकित किया जाए तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।




(रवि कुमार आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी (तारानगर (चूरु))